न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 353/2022

प्रार्थीगण :–

1. घेवरचन्द पुत्र उकाराम
2. जगदीश पुत्र उंकाराम
3. मांगीलाल पुत्र उकाराम सभी जातियान घांची, निवासी जसोल, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. अभिषेक पुत्र महावीर चन्द जैन डी. 204 अरिहंत नगर शाही बांग अहमदाबाद गुजरात
2. तीर्थकर कुमार पुत्र मूलचन्द ओसवाल लक्ष्मीनगर बालोतरा
3. संदीप कुमार पुत्र मूलचन्द ओसवाल लक्ष्मीनगर बालोतरा
4. जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर

   फोर्मल पक्षकार :–

5. देवाराम उर्फ देवीया पुत्र मिसराराम उर्फ मिसरीया जाति घांची
6. दिलीप कुमार पुत्र डुंगरीया उर्फ डुंगराराम जाति घांची
7. पवनीदेवी पत्नी डुंगरीया उर्फ डुंगराराम जाति घांची
8. मुकेश कुमार पुत्र डुंगरीया उर्फ डुंगराराम जाति घांची

   सभी निवासीयान जसोल तह0 पचपदरा ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित :– 1. श्री अचलाराम थोरी वकील प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण – एकतरफा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:22:11 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिनांक :– [illegible]2023

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी नाम के खसरा नम्बर 328 रकबा 1.2545 हैक्टर सारहद मौजा खेड पटवार हल्का खेड तहसील पचपदरा जिला बाडमेर की भूमि में आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु तक विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 1164/329 रकबा 0.4856 हैक्टर भूमि में से संलग्न नजरी नक्शा में परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये मार्क बरंग लाल से मार्क ए से बी नया रास्ता के कृषि उपयोग हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है ।

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थना पत्र दर्ज कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गयी। विप्रार्थीगण को जारी रजिस्टर्ड नोटिस बाद तामिल के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। आवेदन के तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार पचपदरा से मौका रिपोर्ट तलब की गयी । भू0अभिलेख निरीक्षक साजियाली मौका रिपोर्ट पेश की गयी । मौका रिपोर्ट में जाहिर किया कि प्रार्थीगण के मौजा खेड पटवार क्षेत्र खेड तहसील पचपदरा के खेत खसरा न. 328 रकबा 1.2545 हैक्टेयर मे आवागमन हेतु खसरा संख्या 1164/329 जिसमे से रास्ता चाहा गया है के चारो तरफ पक्की बाउण्डरी बनी हुई है जो बाडमेर– बालोतरा मुख्य रोड से लगता हुआ है। प्रार्थी द्वारा अपने खेत मे आवागमन हेतु खसरा संख्या 1164/329 रकबा 0.4356 हैक्टेयर मे से चाहे गए रास्ते की लम्बाई 238 फीट व चौडाई 13 फीट, क्षेत्रफल 3094 वर्ग फीट है जो संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार है । जिसकी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार राशि सम्बन्धित खातेदार/ राजकोष मे जमा कराना स्वीकार किया गया। प्रार्थी का खेत खसरा संख्या 328 रेल्वे लाईन के नीचे बने अन्डरब्रीज से निकले कदीमी रास्ता (ग्रेवल सडक) से जुडा हुआ है तथा उक्त कदीमी रास्ता (ग्रेवल सडक) दो आवागमन चालू है । प्रार्थी द्वारा अपने खेत मे आवागमन हेतु चाहे गये रास्ता सम्बन्धित खेत खसरा संख्या 1164/329 वर्तमान मे स्थानिय निकाय नगर परिषद बालोतरा के नाम 90 ए हो चुकी है। जिसके राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद के आदेश भी हो चुके है जिसकी प्रति संलग्न है ।

प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया । न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी मौजा खेड की जमाबदी सवंत 2079–2082 तक का अवलोकन किया गया।

हमने प्रार्थीगण की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य तथा भू0अभिलेख निरीक्षक साजियाली द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नक्शा का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया । प्रार्थीगण ग्राम खेड पटवार हल्का खेड तहसील पच[illegible] खसरा संख्या खसरा नम्बर 328 रकबा 1.2545 हैक्टेयर भूमि का अभिलिखित [illegible] पर उनका कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण के खातेदारी खेत एवं सडक के मध्य [illegible] की उक्त भूमि अवस्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:22:11 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थीगण को अपने खातेदारी खेत से सडक तक आवागमन हेतु विप्रार्थीगण की उक्त भूमि के मध्य अवस्थित रास्ते से गुजरना पडता है । भू0अभिलेख निरीक्षक साजियाली की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण के आवागमन का विकल्प है। जिसकी प्रार्थीगण को अत्यधिक आवश्यकता है

भू.अ.नि. सजियाली ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत मे आवागमन हेतु चाहे गये रास्ता सम्बन्धित खेत खसरा संख्या 1164/329 वर्तमान मे स्थानिय निकाय नगर परिषद बालोतरा के नाम 90 ए हो चुकी है। ऐसे कथन की पुष्टि मे कोई जमाबंदी दस्तावेज आदेश की प्रति संलग्न प्रस्तुत नही की है जबंकि रिपोर्ट के संलग्न जमाबंदी जो राजकीय प्रयोजनार्थ दिनांक 20.3.2023 को हल्का पटवारी द्वारा जारी की है मे भूमि निजी खातेदारान विप्रार्थीगण के नाम दर्ज है अलाव इसके प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 19.12.2022 से विचाराधीन है । उसके साथ प्रार्थी ने खसरा संख्या 1164/329 की प्रमाणिंत प्रतिलिपि जमाबंदी की प्रस्तुत की है के अनुसार भी निजी खातेदारो की खातेदारी भूमि है ।अलावा इसके यदि ऐसी भूमि प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते तो धारा 90 ए आर.एल.आर. एक्ट के तहत नगर परिषद के नाम की गयी है तो माफिक प्लान उक्त भूमि मे से आवागमन का रास्ता भी रखा गया है क्यो कि ऐसा रखना आज्ञापक रूप से आवश्यक भी है । उपरोक्त समस्त विवेचन अनुसार भी प्रार्थी की भूमि मे आवागमन हेतु निकटतम रास्ता प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही प्रतीत होता है , अधिनियम की मंशानुसार निकटतम रास्ता ही उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत परिशिष्ट 'अ' मे बरंग लाल से चिन्हित मार्क "ए" से "बी" व मौका फर्द के संलग्न नक्शा मे वर्णित बरंग हरा माफिक स्वीकार किया जा कर ग्राम खेड तहसील पचपदरा के खसरा नम्बर 328 रकबा 1.2545 हैक्टेयर से सड़क तक आवागमन हेतु ग्राम खेड़ के. खसरा संख्या खसरा संख्या 1164/329 रकबा 04856 हैक्टर में [illegible] षित करने का आदेश दिया जाता है ।

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:22:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण रास्ते हेतु घोषित 3094 वर्ग फिट भूमि की क्षतिपूर्ति राशि माफिक डी.एल.सी रेट से दो गूना राशि जो भूमिधारक तहसीलदार द्वारा प्रार्थी को बताई जाती है को विप्रार्थी संख्या –01 अभिषेक विप्रार्थी संख्या –2 तीर्थकर कुमार, विप्रार्थी संख्या –3 संदीप कुमार को अदा करे । यदि उक्त विप्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि प्राप्त नही कि जाती है तो भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा के पास जमा करावें। ताबाद तहसीलदार पचपदरा तदनुसार खसरा संख्या 1164/329 के उक्त खसरा के मूल रकबा मे से रास्ते हेतु घोषित 3094 वर्ग फिट भूमि सरकारी खाते में बतौर रास्ता अमल दरामद व जमाबंदी एवं लट्ठा नक्शा में दर्ज कर दुरूस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

भू.अ.निरीक्षक साजियाली द्वारा दिनांक 20.03.23 को प्रेषित मौका फर्द में एवं प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा ।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 05.062023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:22:11 IST
Reason: SelfAttested